

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025
2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं.):** 0065 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 24/03/2025 17:03 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/01/2025 **Date To (दिनांक तक):** 13/01/2025
- Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 11:00 बजे **Time To (समय तक):** 14:00 बजे

- (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/03/2025 **Time (समय):** 16:00 बजे

- (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय):** 24/03/2025 17:03:10 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 04 किमी **Beat No. (बीट सं.):** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** NAGAR NIGAM ALWAR

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): AJEET KUMAR JAIN

(b) Father's Name (पिता का नाम): C.L.JEN

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1960

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	114, SCHEME NUMBER 12, KUSH MARG., NEHRU NAGAR, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	114, SCHEME NUMBER 12, KUSH MARG., NEHRU NAGAR, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

██████████

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	POONAM KUMARI GUPATA		पिता: KASHIRAM GUPATA	1. CLOTH MERCHANT NAJDIK BANK OF BARODA AVM, HOTEL KAMVE POST NEEMARANA, NEEMRANA, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	दो लाख रुपये रिश्वत की	2,00,000.00

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	मांग करना	2,00,000.00
---	------------------	-------	-----------	-------------

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,00,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि दिनांक 13.01.2025 को वक्त करीब 2.00 पीएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष एक व्यक्ति ब्यूरो कार्यालय अलवर प्रथम, अलवर पर उपस्थित आये और नाम श्री अजित कुमार जैन पुत्र श्री सी.एल. जैन, जाति जैन, निवासी 114, स्कीम नम्बर 12, कुश मार्ग, नेहरू नगर अलवर होना बताया। तत्पश्चात श्री अजित कुमार जैन ने एक अग्रेजी भाषा मे स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय पहचान पत्र आधार कार्ड की फोटो कॉपी व मकान से संबंधित कामजात की फोटो कॉपी स्वयं के प्रमाणित एवं एक डीवीडी स्वयं के हस्ताक्षर किये हुये मन पुलिस उप अधीक्षक को इस आशय को पेश किया To, The Additional s.p, Anti corruption Bureau, Alwar-Rajasthan sub-Application For Name Transfer in Nagar Name -Demand of Rs.20 lace bribe by Ms.Poonam Gupta,Legal officer. I Would like to submit the following for your persnsal and neccessary action1-I had purchased a property no.114,scheme no.12 Kush Marg,Alwar in the year 1990 along with wife Mrs Rajshree Jain from Ms.Vimala Devi 2-My earlier request for issuance of PATTA inour name was rejected by UIT on The ground that the Lease deal was issued in forour of Ms Indira Devi,the original allotter in the year 1995 while the plot was purchase by us in 19903- Accordingly,I approached LOK ADALAT for cancellation I Lease who gave verdiet in our favar in Feb 2024 and directed UIT to issue PATTA as per norms 4- Subsagnell thr file vvas transferred to Ngar Nigam I had applied for Name Transfer Nagar Nigam I had applied for Name Transfer online Application no.106810 on 22/10/245- Despite containe follow ups,these was no progress and it transpired that the file is steck with Legal section 6- I approached Ms Poonam Gupta,Legal officer,for clearance of file in implewad action of Lok Adalat order 7-She informed that she has already taken a view i challange the court order and for Changing the Meting she demanded a bribe of Rs 2.0 lakhs.8. When we did not accede to her request she forwarded the file to commissioner.9-In our earlier meeting with commissioner he had assured us of synepathete vias.Trday even we informed him about the misconduct of his subordinate for demand by Rs 2.0 lace bribe for changing noting10- Now that we have reveald to the commissioner, do not think she inll demand and accept mony from us.11-The recording of entire conversation order in Ms.Poonam Gupta deworde Rs 2.0 laces as bribe has been made available to your good offices,through a DVD.Also I have signed on DVD us proof The recording is also available in my mobile when can he made available as and when requiried Submitted please. Thanking you your faithfully Ajet kumar jain 114,scheme no.12 Kush Marg Nehru Nagar ALWAR-301001(Mob.) प्रस्तुत किया। श्री अजित कुमार जैन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री अजित कुमार जैन ने ब्यूरो में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि "उसके द्वारा दिनांक 17.07.1990 को श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश गुप्ता निवासी प्लाट नं0 10 स्कीम नं0 2 अलवर से प्लॉट नं0 114, स्कीम नं0 12 कुश मार्ग, नेहरू नगर अलवर जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय किया था। उक्त प्लाट के राजस्व रिकार्ड में श्रीमती बिमला देवी के स्थान पर क्रेता प्रक्ष द्वारा नाम परिवर्तन हेतू यूआईटी अलवर में आवेदन किया गया तथा यूआईटी अलवर ने फाईल को नगर निगम अलवर में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद शिकायत कर्ता द्वारा नगर निगम अलवर में दिनांक 22.10.2024 को ऑनलाईन आवेदन नं0 106810 किया गया। शिकायत कर्ता का कार्य नहीं होने पर व्यक्तिगत रूप से नगर निगम अलवर पहुँच कर जानकारी प्राप्त की तथा नगर निगम अलवर स्टाफ के बताये अनुसार समस्त रिकॉर्ड ऑनलाईन सबमिट कर दिये गये। शिकायतकर्ता का कार्य नहीं होने पर शिकायत कर्ता द्वारा दिनांक 01.01.2025 को नगर निगम अलवर पहुँच पत्रावली की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की तो उक्त पत्रावली नगर निगम अलवर की विधि शाखा में होना बताया जिस पर शिकायतकर्ता श्री अजित

कुमार जैन द्वारा विधि शाखा में पदस्थापित श्रीमती पूनम कुमारी गुप्ता, वरिष्ठ विधि अधिकारी से सम्पर्क कर नाम परिवर्तन की पत्रावली में जानकारी चाही तो पूनम गुप्ता, वरिष्ठ विधि अधिकारी द्वारा उक्त पत्रावली पर लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध में अपील करने की राय देना बताया और शिकायतकर्ता को कहा कि यदि तुम मुझे दो लाख रुपये देते हो तो मैं फाईल की नोटिंग को बदल दूंगी। आप मुझे यदि दो लाख रुपये देंगे तो नोटिंग बदल कर आपके पक्ष की राय नोटशीट पर लिख दूंगी।" शिकायतकर्ता ने लिखित शिकायत में व पुलिस दरियाफ्त पर उक्त रिश्त मांग की वार्ता की वार्ता को अपने मोबाईल में रिकॉर्ड करना बताया उक्त रिश्त मांग वार्ता जो परिवारी द्वारा स्वयं के मोबाईल में रिकॉर्ड की गई थी की डीवीडी तैयार कर, उक्त डीवीडी पर अपने हस्ताक्षर कर शिकायत के साथ डीवीडी को खुली अवस्था में प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया। उक्त प्रस्तुत खुली डीवीडी को कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से चालू कर सुना गया तो रिकॉर्ड वार्ता में एक महिला द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत में अंकित तथ्यों अनुसार दो लाख रुपये की रिश्त राशि की मांग करने की वार्ता स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड होना पाई गई तथा रिकॉर्ड वार्ता अनुसार परिवारी श्री अजित कुमार जैन के जायज कार्य की ऐवज में संदिग्ध आरोपिया श्रीमती पुनम गुप्ता द्वारा परिवारी के नाम परिवर्तन कार्य से सम्बन्धित पत्रावली पर विधिक राय देने की ऐवज में 2 लाख रुपये रिश्त की मांग करना स्पष्टतः रूप से रिकॉर्ड होना पाया गया। परिवारी श्री अजित कुमार जैन द्वारा डीवीडी में रिकॉर्ड वार्ता को अपनी स्वयं की व अपने रिश्तेदार श्री राजकुमार जैन एवं आरोपी श्रीमती पूनम कुमारी गुप्ता, वरिष्ठ विधि अधिकारी, नगर निगम अलवर की होना बताया। परिवारी को पुनः मांग सत्यापन हेतु कहा जाने पर परिवारी द्वारा पूर्व में रिश्त राशि तय हो जाने के कारण आरोपिता द्वारा पुनः बातचीत नहीं करने के कारण असमर्थता जताई गई। परिवारी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी में रिकॉर्ड वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई व बाद मिलान परिवारी अजित कुमार के मोबाईल/डिवाइस में रिकॉर्ड वार्ता को श्री रामजीत कानि. से कार्यालय के उपयोग की पैन ड्राईव में सुरक्षित /संरक्षित करवाया गया। परिवारी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर प्रार्थना पत्र मय डीवीडी को शामिल कार्यवाही कर परिवारी को मुनासिफ हिदायत देकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात कार्यालय के पत्रांक 90 दिनांक 22.01.2025 से परिवारी के लिखित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति तथा डीवीडी से तैयार की गई ट्रान्सक्रिप्ट व प्रस्तुतशुदा मूल डीवीडी को ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की गई। तत्पश्चात ब्यूरो मुख्यालय के आदेश क्रमांक भनिब्यूरो/ अशा/3/25/1846-47 दिनांक 07.02.2024 से परिवारी का मूल रिकॉर्डिंग डिवाइस एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4)(सी) का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निर्देश प्राप्त हुये की पालना में परिवारी को जरिये वाट्सअप काल/फोन से तलब कर ब्यूरो मुख्यालय के आदेशानुसार जिस मोबाईल दिनांक 10.02.2025 को आरोपिता श्रीमती पुनम कुमारी गुप्ता वरिष्ठ विधि अधिकारी, नगर परिषद अलवर से जो आपके नाम परिवर्तन की पत्रावली के कार्य के संबंध में वार्ता की गई थी, जिस वार्ता में आरोपिता द्वारा 2 लाख रुपये की रिश्त की मांग की गई है जिस डिवाइस/ मोबाईल में आप द्वारा रिकॉर्ड की गई है उक्त मोबाईल को एवं जो डीवीडी तैयार की गई है उसके संबंध में व धारा 63(4)(सी) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में अवगत कराया गया इस पर परिवारी श्री अजित कुमार जैन ने स्वेच्छा से अपने पास से एक वन प्लस कम्पनी का डिवाइस/मोबाईल फोन प्रस्तुत किया। उक्त मोबाईल का अवलोकन कर परिवारी से मोबाईल के संबंध में पूछताछ करने पर परिवारी श्री अजित कुमार जैन ने उक्त मोबाईल स्वयं के द्वारा क्रय करना तथा दिनांक 01.01.2025 की वार्ता को उक्त मोबाईल की मैमोरी में ही अपने रिश्तेदार श्री राजकुमार की उपस्थिति में श्रीमती पुनम गुप्ता वरिष्ठ विधि अधिकारी, नगर परिषद अलवर से रिश्त मांग के संबंध में हुई वार्ता को उसके द्वारा उसके स्वयं के उक्त मोबाईल/डिवाइस की मैमोरी में रिकॉर्ड करना बताया, उक्त मोबाईल के SLOT-1 [REDACTED] मोबाईल नम्बर [REDACTED] की जिओ कम्पनी की सिम प्रयुक्त करना प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, प्रस्तुत मोबाईल को बरंग स्काई ब्ल्यू जिसके अन्दर कोई सिम लगी होना नहीं पाई गई, तथा उक्त मोबाईल का स्क्रीन पासवर्ड 040360 प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया। मोबाईल/डिवाइस को उक्त पासवर्ड नम्बर लगाकर खोला गया तो पासवर्ड नम्बर सही होना पाया गया। तत्पश्चात परिवारी श्री अजित कुमार जैन से पेश किये गये उक्त मोबाईल में अपनी निजता संबंधी कोई फोटो/विडियो आदि सेव होने के बारे में पूछा जाने पर परिवारी द्वारा इनकार कर अन्य निजि फोटो/विडियो आदि रिकॉर्ड नहीं होना बताया। उक्त मोबाईल में रिकॉर्ड वार्ता को चलाकर सुना गया तो मोबाईल की मैमोरी में दिनांक 01.01.2025 में Poonam Gupta के नाम से मोबाईल के रिकॉर्डिंग फोल्डर में उक्त वार्ता की क्लिप रिकॉर्ड होना पाई गई। उक्त रिकॉर्ड वार्ता को दिनांक 13.01.2025 को परिवारी द्वारा पेश करने पर कार्यालय के उपयोग की पैन ड्राईव में सेव किया गया था, को चालू कर सुना गया तो रिकॉर्ड वार्ता में कोई विरोधाभाष नहीं पाया गया। तत्पश्चात परिवारी द्वारा पेश उक्त मोबाईल फोन को जरिये फर्द जसी प्रार्थना पत्र एवं मोबाईल वन प्लस कम्पनी मोडल नम्बर CPH2569 DEVICE NAME ONE PLUS NORD CE35G एवं विप्लेषण मोबाईल जिसमें परिवारी श्री अजित कुमार जैन व आरोपी श्रीमती पूनम गुप्ता, वरिष्ठ विधि अधिकारी, नगर निगम अलवर के मध्य दिनांक 01.01.2025 को रूबरू हुई रिश्त मांग वार्ता को रिकॉर्ड किया गया था को कब्जे एसीबी लिया गया व उक्त के संबंध में परिवारी से धारा 63 (सी)(4) साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र पेश किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त की गई समस्त कार्यवाही एवं मौके के हालात से पाया गया कि आरोपी श्रीमती पूनम कुमारी गुप्ता वरिष्ठ विधि अधिकारी, हाल सहायक विधि परामर्शी नगर निगम अलवर द्वारा परिवारी श्री अजित कुमार जैन पुत्र श्री सी.एल. जैन, जाति जैन, निवासी 114,

स्कीम नम्बर 12, कुश मार्ग, नेहरू नगर अलवर के कार्यालय नगर निगम अलवर में मकान प्लॉट नं0 114, स्कीम नं0 12 कुश मार्ग, नेहरू नगर अलवर के नाम हस्तांतरण व नये पट्टे से संबंधित पत्रावली पर विधिक राय देने की एवज में दो लाख रूपये रिश्त की मांग करना स्पष्टतः पाया जाने पर श्रीमती पूनम कुमारी गुप्ता वरिष्ठ विधि अधिकारी हाल सहायक विधि परामर्शी नगर निगम अलवर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का प्रथम दृष्टया बनना बखूबी पाया गया है। अतः आरोपी श्रीमती पूनम कुमारी गुप्ता पुत्री श्री काशीराम गुप्ता, जाति महाजन उम्र 36 साल निवासी क्लोथ मर्चेन्ट, नजदीक बैंक ऑफ बडौदा, एवं हॉटल काम्बे पोस्ट नीमराणा, तहसील नीमराणा, हाल पुराना सूचना केन्द्र कम्पनी बाग के सामने अलवर वरिष्ठ विधि अधिकारी हाल सहायक विधि परामर्शी नगर परिषद अलवर द्वारा परिवादी श्री अजित कुमार जैन पुत्र श्री सी.एल. जैन, जाति जैन, निवासी 114, स्कीम नम्बर 12, कुश मार्ग, नेहरू नगर अलवर के मकान प्लॉट नं0 114, स्कीम नं0 12 कुश मार्ग, नेहरू नगर अलवर के नाम हस्तांतरण व नये पट्टे से संबंधित पत्रावली पर विधिक राय देने की एवज में दो लाख रूपये रिश्त की मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया है। अतः उक्त आरोपी श्रीमती पूनम कुमारी गुप्ता वरिष्ठ विधि अधिकारी हाल सहायक विधि परामर्शी, नगर निगम अलवर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रारूप प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। भवदीय (महेन्द्र कुमार) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर।।.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिता श्रीमती पूनम कुमारी गुप्ता पुत्री श्री काशीराम गुप्ता, जाति महाजन उम्र 36 साल निवासी क्लोथ मर्चेन्ट, नजदीक बैंक ऑफ बडौदा, एवं हॉटल काम्बे पोस्ट नीमराणा, तहसील नीमराणा, हाल पुराना सूचना केन्द्र कम्पनी बाग के सामने अलवर वरिष्ठ विधि अधिकारी हाल सहायक विधि परामर्शी नगर परिषद अलवर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीवाडी को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 342 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 359-62 दिनांक 24.03.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर, 2. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान जयपुर, 3. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर चतुर्थ, 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर-प्रथम। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): PARAMESHWAR Rank उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): LAL YADAV (पद):

No.(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.


(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan, IN
Date: 24/03/2025 17:00



15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियों और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियों/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दोत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)